

अवर प्रमंडल पदाधिकारी का कार्यालय  
सोन नहर अवर प्रमंडल, सिद्धिपुर शिविर नावानगर (बक्सर)

पत्रांक- ...../ सिद्धिपुर/ दिनांक- .....

अल्पकालीन निलामी सूचना सं0-01/2026-27

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सिद्धिपुर अवर प्रमंडल के अन्तर्गत पड़ने वाले विभिन्न नहरों के बगल में जो गढ़ा है उसमें सिंघारा डालने एवं संरचनाओं से मछली पकड़ने के लिए नीचे लिखे स्थानों की निलामी निम्नलिखित तिथि को 11:00 बजे दिन में सोन नहर अवर प्रमंडल सिद्धिपुर शिविर नावानगर के कार्यालय में की जायेगी जिसकी अवधि दिनांक- 31.10.2025 तक मान्य होगा। सिंघाडा/मछली पकड़ने का कार्य संरचनाओं या नहरों को बिना क्षति तथा सिंचाई कार्य के बिना बाधा पहुँचाए करना होगा। दिनांक- 16.06.2026 को 11:00 बजे दिन में मछली निलामी की जायेगी दिनांक- 16.06.2026 निलामी की प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं होने पर अगली तिथि- 19.06.2025 एवं 22.06.2025 11:00 बजे दिन में निलामी की प्रक्रिया पुनः निलामी की जायेगी। विस्तृत जानकारी कार्यालय की कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

शर्त :- निलामी बोलने वाले व्यक्ति को जमानत की राशि के में 500.00 (पाँच सौ) रुपये जमा करना होगा। उच्चतम डाक बोलने को उसी दिन निलामी कर पूर्ण राशि जमा करना होगा। अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए दूसरे व्यक्ति के साथ निलामी कर दिया जायेगा। बिना कारण बताए किसी एक या सभी निलामी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुिक्षित होगा। सक्षम पदाधिकारी अनुमोदन के पश्चात ही रसीद निर्गत किया जाएगा।

क्रमांक	स्थल का नाम	विभाग द्वारा न्यूनतम राशि ( रु० )
1	DBC के भटौली फॉल के उपर से कटहियाँ पुल तक मछली निलामी।	8349.00
2	DBC के सिकरियाँ मुख्य द्वार से केसठ फॉल तक मछली निलामी।	1375.00
3	DBC के सिकरियाँ मुख्य द्वार के नीचे से चनवथ फॉल तक मछली निलामी।	30173.00
4	कोआथ बंगला के नीचे दौये साईड चार्ट गढ़ा के रयाज खॉ मोरी तक।	605.00
5	बैना नहर में खैरही काली स्थान से बहुआरा पुल तक बाये तरफ चार्ट गढ़ा।	627.00

विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट [wrd.bihar.gov.in](http://wrd.bihar.gov.in) or [http://State.bihar.gov.in / prdbihar](http://State.bihar.gov.in/prdbihar) पर देखा जा सकता है

ह०/-

अवर प्रमंडल पदाधिकारी  
सोन नहर अवर प्रमंडल सिद्धिपुर



## नीलामी की नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग-अलग अग्रधन की राशि जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति एवं वापसी नीलामी स्थल पर होगी ।
2. अग्रधन की राशि जमा करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति डाक बोलने का अधिकारी होगा । सर्वोच्च डाक बोलने वाले एवं द्वितीय बिडर को छोड़ कर शेष सभी का अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी । सर्वोच्च डाक बोलने वाले व्यक्ति के अग्रधन की राशि का समायोजन नीलामी की राशि जमा करने के समय की जायेगी । सर्वोच्च डाक बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की राशि नहीं जमा करने पर उनके द्वारा जमा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
3. नीलामी के बाद किसी भी विवाद के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।
4. जिस व्यक्ति को बंदोबस्ती की जायेगी उसे इस बात की गारंटी देनी होगी कि नहर संरचनाओं एवं वृक्षों की क्षति न हो । क्षति होने पर उनके मरम्मत पर आने वाले व्यय नीलामी लेने वाले व्यक्ति से की जायेगी ।

ह0/-

अवर प्रमंडल पदाधिकारी  
सोन नहर अवर प्रमंडल सिद्धिपुर

पत्रांक .....45...../ सिद्धिपुर/ दिनांक 29/05/26

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग पटना को स्थानीय दैनिक समाचार निलामी सूचना प्रकाशनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि:- अंचलाधिकारी, नावानगर, बक्सर के अधीन / प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी :- नावानगर, बक्सर एवं थानाध्यक्ष नावानगर बक्सर को सूचनार्थ एवं आम प्रचारनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित ।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित ।

प्रतिलिपि :- आधिकारण अभियंता, सोन नहर अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं अवध्यक कार्यवाही हेतु समर्पित ।

Y.K.R.

29/05/26

अवर प्रमंडल पदाधिकारी  
सोन नहर अवर प्रमंडल सिद्धिपुर